भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 272

22 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती संबंधी नीतियां:

***272. डॉ. डी.एन.वी.सेंथिलकुमार एस.:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जैविक खेती को परिभाषित करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं तथा जैविक खेती के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की नीति अथवा सेंटर (राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय) विद्यमान है और यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी खेती को बढ़ावा देने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ क्षेत्र विशिष्ट विकास कार्यकलाप भी हैं और यदि हां, तो ऐसे जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करने हेतु कौन-सा तंत्र विद्यमान है;

(ग) क्या राज्यों के लिए पूर्णत: जैविक बनने हेतु कोई मानदंड है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान बढ़ते क्रम में जैविक खेती के उत्पादों के निर्यात का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या व्यापक तौर पर यह माना जाता है कि जैविक खेती सतत स्वरूप वाली खेती है और यदि हां, तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन नीतियों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/क्या उपाय किए गए हैं तथा इस प्रकार की नीतियों में किसानों की सुनिश्चित भूमिका क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव जैविक खेती से संबंधित कोई अनुसंधान केन्द्र बनाने का है और यदि हां, तो निकट भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव से संबंधित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"जैविक खेती संबंधी नीतियां" के संबंध में दिनांक 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले ताराकित प्रश्न सं. 272 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जैविक खेती को उत्पादन प्रणाली की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जहां सिंथेटिक्स से बचा जाता है या बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और खेत के भीतर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बाहर रखा जाता है। जैविक खेती की आधुनिक अवधारणाएं परंपरा (मिश्रित खेती और स्वदेशी तकनीकी ज्ञान), नवाचार (संकर, जैव-उर्वरक, फार्म यार्ड खाद, समृद्ध खाद, ऑयल केक, सूक्ष्म सिंचाई, संभावित क्षेत्रों/फसलों में फसल रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग और मल्चिंग और पारिस्थितिक इंजीनियरिंग सहित कीटों और रोगों का सांस्कृतिक और जैविक नियंत्रण) और विज्ञान (आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति और सिंथेटिक्स के बिना कीटों और रोगों का प्रबंधन) सहित उन्नत कृषि पद्धतियों को जोड़ती हैं।

जैविक एवं प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय केंद्र (एनसीओएफ) (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र- एनसीओएफ) और इसके क्षेत्रीय केंद्रों को तकनीकी क्षमता निर्माण और जैविक आदानों के गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।

सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण और प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण आदि जैसे फसलोपरांत प्रबंधन सहित विपणन तक जैविक किसानों को सहायता प्रदान करती हैं।

(ख): पीकेवीवाई देशभर के सभी राज्यों में कार्यान्वित की जाती है जबकि एमओवीसीडीएनईआर को विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमाणित जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) को अधिसूचित किया है। एनपीओपी के तहत, तृतीय पक्ष का प्रमाणन मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा किया जाता है। अब तक, 29 मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों को प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा अधिकृत किया गया है। जबकि, कृषि मंत्रालय ने घरेलू जैविक बाजार के विकास के लिए कम लागत वाले किसान समूह केंद्रित विकेन्द्रीकृत पीजीएस-इंडिया जैविक प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है। पीजीएस-जैविक प्रमाणीकरण कृषि मंत्रालय के तहत पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत अधिकृत क्षेत्रीय परिषद द्वारा किया जाता है। अब तक पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत 65 क्षेत्रीय परिषदों को अधिकृत किया गया है।

(ग): राज्यों को पूरी तरह से जैविक बनने के लिए एनपीओपी या पीजीएस जैविक प्रमाणन प्रणाली के तहत अपनी पूरी खेती योग्य भूमि को प्रमाणित करना आवश्यक है। सिक्किम राज्य अपनी 76,000 हेक्टेयर की पूरी खेती योग्य भूमि को जैविक के रूप में प्रमाणित करके जनवरी 2016 में पूरी तरह से जैविक खेती वाला राज्य बन गया है।

जबकि, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और लद्दाख अपने पूरे क्षेत्र को लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन (LAC) कार्यक्रम के तहत प्रमाणित करके पूरी तरह से जैविक हो गए हैं। एलएसी के तहत, कार निकोबार के 14,445 हेक्टेयर क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों के नानकॉरी समूह को जैविक में बदलने के लिए प्रमाणित किया गया है। पिछले 5 वर्षों (2016-17 से 2020-21) के दौरान भारत से जैविक उत्पादों का वर्ष-वार निर्यात **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(घ): जैविक खेती एक स्थायी उत्पादन प्रणाली है जो मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार करती है।

सरकार वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) और मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है ताकि रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और जैव उर्वरक के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा दिया जा सके और जैविक उर्वरक जैसे पौध पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों को बढ़ाकर स्थायी उत्पादन के लिए मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार किया जा सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और साथ ही मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए डाले जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश करता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में प्रदर्शन तथा उर्वरकों के उचित एवं एकीकृत उपयोग के संबंध में किसानों का प्रशिक्षण इस योजना का अभिन्न अंग है। वर्ष 2015 से इस कार्यक्रम के तहत लगभग 6.45 लाख प्रदर्शन, 93,781 किसान प्रशिक्षण और 7425 किसान मेलों का आयोजन/संचालन किया गया है।

(ड.): आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फसलन और कृषि प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में फसलों के जैविक उत्पादन के लिए पद्धतियों के पैकेज को विकसित करने के लिए 16 राज्यों को कवर करने वाले 20 सहयोगी केंद्रों के साथ जैविक खेती पर अखिल भारतीय नेटवर्क कार्यक्रम की एक शोध योजना संचालित करती है। इस योजना में 11 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 8 आईसीएआर संस्थान/केंद्र और 1 विशेष विरासत विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस योजना के परिणामस्वरूप, 16 राज्यों के लिए उपयुक्त 62 फसलन प्रणालियों के लिए जैविक खेती पैकेज और 7 राज्यों के लिए उपयुक्त 8 एकीकृत जैविक खेती प्रणाली मॉडल तकनीकी बैकस्टॉपिंग प्रदान करने के लिए विकसित किए गए हैं।

लो.स.ता.प्र.सं. 272

अनुबंध I

पिछले 5 वर्षों के दौरान जैविक उत्पादों का निर्यात

उत्पाद की श्रेणी	वर्ष और एमटी में निर्यात की गई मात्रा				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-2020	2020-21
अनाज और मिलेट	38083.46	52964.77	61184.79	48677.64	59907.788
कॉफ़ी	8262.01	8414.27	2918.96	4584.91	4381.514
मेवे	1558.00	4270.34	3804.77	3714.48	3658.167
आवश्यक तेल	386.86	12.862	121.84	145.33	219.314
फूल	214.026	309.70	558.62	346.55	190.133
चारा	1653.00	209.055	1569.65	4999.13	6876.943
ताजे फल और सब्जियां	9003.31	10383.126	333.50	511.29	1404.315
औषधीय पौध उत्पाद	1275.44	1920.415	2902.72	2806.06	4230.570
विविध	19.912	22.788	5.69	53.46	42.025
तिलहन	153789.01	243936.90	176112.80	100815.43	84072.655
तेल और ओलियोरेसिन	148.02	12.862	0.21	0.44	1.441
अन्य	0	3614.091	6098.63	5429.05	655.775
प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री	42200.08	102823.09	299406.32	405383.99	655986.206
दलहन	13447.09	5617.931	5180.23	4829.61	8781.970
मसाले कंडीमेंट्स	4006.59	5656.88	6756.16	8053.30	10022.276
चीनी	31420.12	15950.768	41119.63	41940.89	40541.511
चाय	कॉफी में शामिल	कॉफी में शामिल	5807.30	6210.89	6164.236
कंद उत्पाद	132.58	138.309	204.61	495.95	1042.850
कुल	305599.508	456258.157	614086.40	638998.40	8,88,179.69

****